

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ग)ए.सी.पी./1994-11/अलेसे-1/ 4116

दिनांक:- 01-07-24

आदेश संख्या 117/2024-25

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (ग) एफडी/रुत्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(68)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती बैच 1994 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा वर्तमान में जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -1 के पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.-2, (9300-34800) एवं ग्रेड-पे 4200 एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (68) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड-पे रु 4000/- स्वीकृत किया जाता है।

क. सं.	नाम लेखाधिकारी (सर्वश्री)	सहा. ग्रेड-1	क.ले. संख्या/बैच	मैरिट लिंक न.	जन्म तिथि	क.ले. पद पर कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	
1	मुखरान चौहान (सेवानिवृत्त)		577/94	2675	02.01.1964	27.05.1998	27.05.2014

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (68) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सम्मान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त तालिका में अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के वार्षिक वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्थ/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 13, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(68)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 की सेवापुस्तिका में की जाये। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 ए.सी.पी. स्वीकृति के राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके दिनांक कोई विभागीय जांच सम्बन्धित नहीं है।


(ज्योति नारयण)

निदेशक एवं पदेन सम्बन्धित शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)ए.सी.पी./1994-11/ 4117-21

दिनांक :- 01-7-24

प्रतिशेषि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।
4. निजी सचिव, निदेशक सहोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।



(राजेंद्र प्रसाद सेंगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

Accp order